भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या : *92
उत्तर देने की तारीख : 27.06.2019

अल्पसंख्यकों में बेरोज़गारी दर

***92. श्री प्रसून बनर्जीः**

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने मुसलमान समुदाय और अन्य अल्पसंख्यकों (सच्चर समिति की रिपोर्ट आने के उपरान्त) में व्याप्त बेरोज़गारी दर के संबंध में आंकड़ों को अद्यतन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार के पास इस संबंध में कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री मुख्तार अब्बास नकवी)

(क) से (ग): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

"अल्पसंख्यकों में बेरोज़गारी दर" के संबंध में श्री प्रसून बनर्जी द्वारा पूछे गए तथा दिनांक 27.06.2019 को उत्तर के लिए निर्धारित लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *92 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख): केंद्र सरकार की अधिकांश सामाजिक–आर्थिक और शैक्षिक सशक्तिकरण की योजनाएं और कार्यक्रम छः केंद्रीय रूप से अधिसूचित अल्पसंख्यकों सहित समाज के सामाजिक–आर्थिक रूप से गरीब और दलित वर्गों के लिए हैं जो समान रूप से लाभान्वित हो रहे हैं। केंद्र सरकार के मंत्रालय/विभाग और राज्य सरकारें सामाजिक–आर्थिक क्षेत्रों, उदाहरणार्थ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार उन्मूख कौशल विकास, आदि में अल्पसंख्यकों सहित लक्ष्यित समूहों के लिए विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित करती रही हैं।

जुलाई 2017–जून 2018 के दौरान किए गए आवधिक लेबरफोर्स सर्वे (पीएलएफएस) से बड़े धार्मिक समूहों (हिंदु, इस्लाम, ईसाई, सिक्ख) से संबंधित व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति अर्थात मुख्य स्थिति + अनुषंगी स्थिति (पीएस + एसएस) में बेराजगारी दर का ब्यौरा अनुलग्नक–I पर दिया है।

इसके अतिरिक्त, जनगणना 2011 के अनुसार रोजगाररत जनसंख्या और गैर–रोजगाररत जनसंख्या का धर्म–वार विवरण निम्नलिखित लिंक पर भी उपलब्ध है : http://www.censusindia.gov.in/2011census/Religion_pca/RL-0000.xlsx

(ग): अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के जरिए अधिसूचित अल्पसंख्यकों (मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन) की रोजगारपरकता बढ़ाने के लिए बहु–शाखी कार्यनीति अपनाई है जिसका उद्देश्य उनका शैक्षिक सशक्तिकरण, कौशल विकास करना, अवसंरचनात्मक सहायता देना आदि है। इन योजनाओं का विवरण निम्नानुसार हैं:

(क) शैक्षिक सशक्तिकरण

(i) छात्रवृत्ति योजनाएं– मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति, मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति।

(ii) नया सवेरा – अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों और अभ्यर्थियों के कौशल और ज्ञान में वृद्धि करने के उद्देश्य से निशुल्क कोचिंग और सम्बद्ध योजना ताकि वे सरकारी क्षेत्र/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निजी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर सकें तथा स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश पा सकें।

(iii) नई उड़ान– संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोगों आदि द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षाएं उत्तीर्ण करने वाले अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों को सहायता प्रदान करने की योजना ताकि उन्हें संघ और राज्यों में सिविल सेवाओं में नियुक्ति के लिए प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाया जा सके जिससे सिविल सेवाओं में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व बढ़ सके।

(iv) पढ़ो–परदेशः विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए शैक्षिक ऋणों पर ब्याज सहायता प्रदान करने की योजना ताकि अल्पसंख्यक समुदायों के छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम हो सकें।

(v) मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना उच्चतर शिक्षा जैसे एम.फिल और पी.एच.डी. प्राप्त करने के लिए अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

(vi) इसके अतिरिक्त, मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान (एमएईएफ) निम्नलिखित दो योजनाएं कार्यान्वित करता है:–

(क) कक्षा XI और XII में अल्पसंख्यकों से संबंधित मेधावी बालिकाओं के लिए बेगम हजरत महल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति।
(ख) गरीब नवाज रोजगार कार्यक्रम।

(ख) आर्थिक सशक्तिकरण

(i) <u>रोजगार उन्मुख कौशल विकास</u>

(क) सीखो और कमाओ (Learn & Earn): यह अल्पसंख्यकों के लिए एक कौशल विकास पहल है जिसका उद्देश्य विभिन्न आधुनिक/पारंपरिक कौशलों में अल्पसंख्यक युवाओं के कौशलों को उनकी अर्हता, वर्तमान आर्थिक रूझानों और बाजार संभावनाओं पर निर्भर करते हुए उन्नत बनाना है जिससे कि उन्हें समुचित रोजगार मिल सके अथवा वे स्व–रोजगार के लिए कुशल हो सकें।

(ख) विकास के लिए परम्परागत कलाओं/शिल्पों में कौशल और प्रशिक्षण का उन्नयन (उस्ताद): इस योजना का उद्देश्य मास्टर शिल्पकारों और दस्तकारों की क्षमता का निर्माण करना और पारंपरिक कौशल को अद्यतन करना; अल्पसंख्यकों की अभिज्ञात पारंपरिक कलाओं/शिल्पों का प्रलेखन; पारंपरिक कौशलों के लिए मानक स्थापित करना; मास्टर शिल्पकारों के माध्यम से विभिन्न अभिज्ञात पारंपरिक कलाओं/शिल्पों में अल्पसंख्यक युवाओं को प्रशिक्षण देना; राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार लिंकेज विकसित करना; और लुप्त हो रही कलाओं/शिल्पों का संरक्षण करना है। देश के विभिन्न भागों में हुनर हाट आयोजित की जाती है जो कुशल कारीगरों और शिल्पकारों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करती है।

(ग) नई मंजिल: अल्पसंख्यक समुदायों के युवाओं को शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने की योजना।

(ii) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) की ऋण योजनाएं जो अधिसूचित अल्पसंख्यकों में 'पिछड़े वर्गों' के स्व–रोजगार और उनके सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए आय सृजन क्रियाकलापों के लिए रियायती ऋण प्रदान करती हैं।

(iii) बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लिए ऋण।

(ग) <u>अवरसंचना सहायता</u>

इसके अतिरिक्त, एक और योजना है अर्थात् प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके), जिसका उद्देश्य अल्पसंख्यकों की सामाजिक–आर्थिक परिस्थितियों में सुधार करना और बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना है ताकि उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सके और अभिज्ञात अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में असंतुलन कम हो सके। शिक्षा के क्षेत्र के अधीन और कौशल विकास के लिए अनुमोदित मुख्य परियोजनाओं में आवासीय स्कूल, स्कूल भवन, छात्रावास, डिग्री कॉलेज, आईटीआई, पोलिटेक्निक, सद्भाव मण्डप, स्वास्थ्य केंद्र, आदि शामिल हैं।

*****

अनुलग्नक–I

अल्पसंख्यकों में बेरोजगारी दर के बारे में श्री प्रसून बनर्जी द्वारा पूछे गए तथा दिनांक 27.06.2019 को उत्तर के लिए निर्धारित लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *92

आवधिक लेबर फोर्स सर्वे (पीएलएफएस) – 2017–18 के अनुसार विभिन्न धार्मिक समूहों के लिए सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) में बेरोजगारी दर।

अखिल भारतीय		
सर्वेक्षण अवधि		
प्रमुख धार्मिक समूह	**2017–18**	
1	2	3
ग्रामीण पुरुष		**ग्रामीण महिलाएं**
हिंदू	5.7	3.5
इस्लाम	6.7	5.7
ईसाई	6.9	8.8
सिक्ख	6.4	5.7
शहरी पुरुष		**शहरी महिलाएं**
हिंदू	6.9	10.0
इस्लाम	7.5	14.5
ईसाई	8.9	15.6
सिक्ख	7.2	16.9
स्रोतः वार्षिक रिपोर्ट, पीएलएफएसः 2017–18		